बाबत् न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत किया, जो न्यायालय हाजा में जैरकार है, वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित सह-खातेदारी कृषि भूमि है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह-खातेदारी आराजी में किसी भी खातेदार को अन्य खातेदार के विरूद्ध कोई अधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं प्रत्येक सह-खातेदार को सामलाती सह-खातेदारी आराजी के प्रत्येक इंच पर समान हक व अधिकार प्राप्त होते है। चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मूल वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का है जो इस सम्बन्ध में जब तक अंतिम रूप से मूल वाद के निस्तारण से पूर्व यदि वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भू-भाग का किसी अन्य को हस्तांतरण हो जाता है तो उससे निश्चित ही प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी। खातेदारान के लिए यह उचित होगा की वाद के अंतिम निस्तारण से पूर्व वादग्रस्त आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण न करें तथा इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत होगा तथा अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति :- *चुंकि* प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है तथा प्रार्थी द्वारा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् मुख्य अनुतोष चाहा है। अतः यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो भू अभिलेखीय प्रविष्टि के आधार पर वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण हो सकता है तथा ऐसी दशा में यदि वादपत्र डिक्री भी हो जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थी को ही अपूरणीय क्षति होगी तथा यदि वादपत्र खारिज होता है तो अप्रार्थीगण को कोई क्षति होना संभव नहीं है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दु भली भांति प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र को साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का रहन बैचान एवं हस्तान्तरण नहीं करने व भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करनें तथा इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने 3/20 वें हक हिस्से की भूमि पर सायल बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें गैरसायलान स्वयं एवं उनके पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण

(अविनाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैसलमेर (राजस्थान)

बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी राजस्व मोजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र निमाज, तहसील-जैतारण जिला ब्यावर (राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 780/1 रकबा 1.6106 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम का रहन, बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि न करे एवं वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें तथा इसके साथ ही अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने 3/20 वें हक हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें अप्रार्थीगण स्वयं एवं उनके पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)